न्यायालय सहायक कलेक्टर, तारानगर जिला चूरू

बइजलास श्री राम निवास बुगालिया RAS

वाद पत्र सं. 08/2016

निर्णय दिनांक 04.06.2019

1. केशर देवी धर्मपत्नी हरिसिंह जाति सिद्ध साकिन सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू
2. कैलाश पुत्र हरिसिंह बउम्र 10 साल नाबालिग जरिये कुदरती संरक्षक पिता खुद हरिसिंह पुत्र चिमनाराम जाति सिद्ध साकिन सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1. मोहननाथ पुत्र रामप्रतापनाथ
2. निराणनाथ पुत्र रामप्रतापनाथ
3. अमरनाथ दत्तक पुत्र मघानाथ

} जाति सिद्ध साकिन सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू

4. तहसीलदार साहब तारानगर जिला चूरू
5. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू
6. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर, तारानगर जिला चूरू

दावा बाबत खाता विभाजन हस्ब दफा 53
राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 5
राज. उप. अधिनियम

उपस्थितः- 1. श्री लक्ष्मीनारायण सहारण, केदारमल स्वामी अभिभाषक वास्ते वादीगण

-: निर्णयः-

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के सक्षेप विवरण निम्न प्रकार से है:-

आराजी कृषिभूमि ख. नं. 797/336 तादादी 9 बीघा 13 बिश्वा, ख. नं. 923/819 तादादी 10 बीघा कुल आराजी 19 बीघा 13 बिश्वा रोही मौजा सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है यही विवादित कृषिभूमि है।

वादीनी सं. 1 केशर देवी विवादित कृषिभूमि में 6 बीघा की सहखातेदार तथा सहकाश्तकार है तथा वादीनी का लड़का वादी सं. 2 भी विवादित कृषिभूमि में 3 बीघा 13 बिश्वा भूमि का सहखातेदार व सहकाश्तकार है इस प्रकार वादीनी सं. 1 केशर तथा

Ram Niwas
सहायक कलक्टर
तारानगर (चूरू)

उसका पुत्र कैलाश कुल 9 बीघा 13 हिस्सा के सह खातेदार तथा सहकाश्तकार है। वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने मौखिक बंटवारा कर रखा है जिसके अनुसार ख. नं. 797/336 तादादी 9 बीघा 13 बिश्वा वादीगण के हक व हिस्से में देकर काबिज करवा रखा है जिसे वे पिछले करीब 5 वर्ष से काश्त करते आ रहे है तथा ख. नं. 923/819 तादादी 10 बीघा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के हक व हिस्से में देकर उनको काबिज होकर 5 वर्ष से अकेले काश्त करते आ रहे है। वादीगण का ख. नं. 797/336 पर अकेलों का कब्जा काश्त होने के बावजुद भी राजस्व रिकॉर्ड में खाता अभी वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का मुश्तरका चला आ रहा है इसलिए वादीगण अपनी उपरोक्त 9 बीघा 13 बिश्वा भूमि का अलग से विभाजन करवाकर अलग से अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड कायम करवाना चाहते है इसलिए यह खाता विभाजन का वाद पेश किया जा रहा है।

वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को कई बार कहा तथा अन्य लोगों से भी कहलवाया कि वे अपना-अपना हिस्सा अलग से विभाजित करवाकर अपना खाता अलग कायम करवा लेवे तो उन्होंने असमर्थता व्यक्त की तथा दिनांक 27.12.2015 को बमुकाम सारायण मे इन्कार हो गया इसलिए यही तारीख वाद कारण है तथा वादाधार वादीगण को विवादित आराजी में 9 बीघा 13 बिश्वा के सहखातेदार तथा काबिज काश्तकार होने से प्राप्त है।

वाद प्रस्तुत होने पर वाद जांच दर्ज कर प्रतिवादीगण को सशुल्क रजिस्ट्रड सम्मन से तलब किये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण बाद तामील उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 18.07.2018 को प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई व दिनांक 20.08.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार तारानगर द्वारा दिनांक 17.12.2018 को विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया जिस पर कोई एतराज पेश नहीं हुआ। फलस्वरूप वादीगण का वाद बरूवे विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि:-

1. कृषिभूमि ख. नं. 797/336 तादादी 9 बीघा 13 बिश्वा रोही मौजा सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू में से वादीनी सं. 1 केशरदेवी पत्नी हरिसिंह 06 -00 बीघा राहिन एसबीबीजे (एसबीआई) शाखा साहवा, वादी सं. 2 कैलाश पुत्र हरिसिंह 03-13 बीघा कुल तादादी 09-13 बीघा जाति सिद्व निवासी सारायण तहसील तारानगर के हक हिस्सा में रहेगी।

सहायक कलक्टर, तारानगर जिला चूरू सत्यमेव जयते

RamNiwas
सहायक कलक्टर
तारानगर (चूरू)

2. कृषिभूमि ख. नं. 923/819 तादादी 10 बीघा रोही मौजा सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू में से 05-00 बीघा प्रतिवादी मोहननाथ पुत्र रामप्रतापनाथ राहिन बीआरकेजीबी शाखा रैयाटुण्डा, प्रतिवादी निराणनाथ पुत्र रामप्रतापनाथ 02-10 बीघा राहिन पजांब नेशनल बैंक शाखा साहवा, प्रतिवादी अमरनाथ दतक पुत्र मघानाथ 02-10 बीघा राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा साहवा कुल तादादी 10-00 बीघा जाति सिद्व निवासी सारायण तहसील तारानगर के हक हिस्सा में रहेगी। विभाजन बाबत नियमानुसार मुद्रांक शुल्क अदा करें।

सहायक कलक्टर, तारानगर जिला चूरू सत्यमेव जयते

Ram Niwas
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
तारानगर (चूरू)
तारानगर (चूरू)

आज दिनांक 4-6-2019 को अदालत का निर्णय सरे इजलास सुनाया गया

Ram Niwas
सहायक कलक्टर
तारानगर (चूरू)